तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 239 / 2024 मुकेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/2/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाके ग्राम पोसाना तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 114, 130, 138 कुल रकबा 5.74 हैक्टर तथा इसी ग्राम के हाल भूमि खसरा नं. 558, 559, 560, 562, 563 कुल रकबा 0.77 हैक्टर भूमि अवस्थित है। आवेदकगण के पिता उक्त भूमि में संयुक्त खातेदार काश्तकार है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम अमल दरामद है, परन्तु राजस्व अधिकारियों की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम सांवता पुत्र भोमा गलत दर्ज हो गया ज़बकि उसका वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजों में सांवता पुत्र भोमा उर्फ मेबा राम है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाये। बहस वकील प्रार्थी सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रार्थी के शपथ पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम सांवता पुत्र भोमा उर्फ मेबा राम दुरूस्त करने की अभिषंशा की है। संलग्न समस्त दस्तावेजात से प्रार्थी का नाम सांवता पुत्र भोमा उर्फ मेबा राम साबित होता है। बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पोसाना तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनूं में भूमि हाल खसरा नम्बर 114, 130, 138 कुल रकबा 5.74 हैक्टर तथा इसी ग्राम के हाल भूमि खसरा नं. 558, 559, 560, 562, 563 कुल रकबा 0.77 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सांवता पुत्र भोमा के स्थान पर सांवता पुत्र भोमा उर्फ मेबा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। हवाई 27/2/25 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	